## अध्याय–IV: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

### 4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों तथा फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रर्वतन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, *वाहन* को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और फीस का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया (अक्टूबर 2006) था। इस सॉफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि के प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। एक अन्य सॉफ्टवेयर यथा, *सारथी* (जनवरी 2013 में अपनाया गया), को ड्राइविंग लाइसेंस के निर्गमन हेतु व वाहनों के पंजीयन व ड्राइविंग लाइसेंसों के डाटा को राज्य पंजिका में संकलन हेतु किया गया है।

### 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019–20 के दौरान, परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 37 इकाइयों[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 86,480 मामलो में सन्निहित ₹ 146.55 करोड़ के कर/शास्ति/अतिरिक्त कर की न/कम वसूली, स्वस्थता फीस एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **सारणी–4.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

2 आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 इसमे कार्यालय प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 18 स0प0अ0 एवं 18 स0स0प0अ0 शामिल हैं।

**सारणी–4.1**

| क्र0 सं0 | श्रेणियाँ | मामलो की संख्या | धनराशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | कर/अतिरिक्त कर की कम वसूली | 14,283 | 55.88 |
| 2 | बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन | 26,106 | 15.40 |
| 3 | जारी वसूली प्रमाणपत्रों के विरूद्ध वसूली न होना | 7,303 | 48.12 |
| 4 | यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों से शास्ति की वसूली न होना | 23,945 | 8.86 |
| 5 | अन्य अनियमितताएं[4] | 14,843 | 18.29 |
| **योग** | | **86,480** | **146.55** |

इस अध्याय में ₹ 26.19 करोड़ की धनराशि की अनियमित्ताओं के 28,383 मामलों की व्याख्या की गयी है। सभी लेखापरीक्षित टिप्पणियों से विभाग को जनवरी 2020 से मई 2020 के मध्य संसूचित किया गया, तथापि उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (जुलाई 2021)। इनमें से कुछ अनियमित्ताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि **सारणी–4.2** में वर्णित है।

**सारणी–4.2**

(₹ करोड़ में)

| प्रेक्षण की प्रकृति | 2014–15 | | 2015–16 | | 2016–17 | | 2017–18 | | 2018–19 | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मामले | धनराशि | मामले | धनराशि | मामले | धनराशि | मामले | धनराशि | मामले | धनराशि | मामले | धनराशि |
| जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना | 464 | 30.36 | 805 | 35.69 | 210 | 1.95 | 393 | 2.61 | 557 | 4.98 | 2,429 | 75.59 |
| परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाणपत्र का नवीनीकृत न होना | 5,820 | 2.69 | 16,246 | 7.43 | 9,852 | 4.48 | – | – | – | – | 31,918 | 14.60 |
| बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के प्राइवेट वाहनों का संचालन | – | – | 1,805 | 0.81 | – | – | – | – | – | – | 1,805 | 0.81 |
| राष्टीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना | 105 | 0.18 | 440 | 0.77 | – | – | – | – | 778 | 1.36 | 1,323 | 2.31 |

**संस्तुतिः**

**विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित न/कम उदग्रहण किये गये मामलों में अधिक धनराशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।**

### 4.3 वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

**कुल 13,284 परिवहन वाहन एवं 6,045 निजी वाहन वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संचालित थे एवं फिटनेस शुल्क ₹ 2.03 करोड़ तथा ₹ 9.66 करोड़ अर्थदण्ड आरोपण के लिए उत्तरदायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने एवं परिवहन वाहनों के परमिट निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।**

मो0या0 अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मो0या0 नियमावली, 1989 प्रावधानित करता है कि एक परिवहन वाहन को तब तक पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि वह स्वस्थता प्रमाण पत्र से आच्छादित न हो। एक नए पंजीकृत परिवहन वाहन के सम्बन्ध में दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। परिवहन प्राधिकारी ऐसे वाहनों के परमिट को

[4] जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना, अनियमित भुगतान, दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना, सेवा कर की गलत गणना एवं ग्रीन टैक्स का गलत प्रयोग, आदि।

ऐसी अवधि के लिए निरस्त अथवा निलम्बित कर सकता है, जो वह उचित समझे। बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित वाहन मो0या0 अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अधिसूचना दिनांक 7 जून 2019 के अन्तर्गत ₹ 5,000 की दर से प्रशमन योग्य है।

के0मो0या0 नियमावली में तिपहिया/हल्के एवं मध्यम वाहनों/भारी वाहनों के लिए परीक्षण शुल्क क्रमशः ₹ 400 एवं ₹ 600 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क ₹ 200 भी आरोपणीय है। चूक के मामले में, निर्धारित परीक्षण शुल्क के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त के कार्यालय आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2005 के अनुसार ओमनी बसों (वाहन चालक को छोड़कर छः सीटों से अधिक परन्तु नौ सीटों तक के वाहन) के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2011–12 से 2016–17 में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर फिटनेस शुल्क एवं शास्ति के आरोपण न करने के कारण शासन को राजस्व की लगातार हानि को उजागर किया गया था।

- लेखापरीक्षा ने 31 स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[5] की जाँच की और पाया (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि 63,180 परिवहन वाहनों में से 13,284 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के (दिसम्बर 2016 और जनवरी 2020 के मध्य) सड़क पर संचालित[6] थे, यद्यपि देय कर वाहन स्वामियों से वसूल किया गया था। फिटनेस समाप्ति की तिथि से सम्बन्धित जानकारी *वाहन* डाटाबेस पर उपलब्ध थी। इसके बावजूद, विभाग ने इन प्रकरणों का पता नही लगाया, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में जहाँ कि फिटनेस समाप्त हो गया था, ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा कर के भुगतान को रोकने के लिये प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक एप्लीकेशन कन्ट्रोल निर्मित नहीं किया गया था। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने भी इन वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने एवं उनका परमिट निरस्त करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप शासन ₹ 1.43 करोड़ के फिटनेस शुल्क एवं ₹ 6.64 करोड़ के अर्थदण्ड से वंचित रहा **(परिशिष्ट–VI)**।

- इसी तरह लेखापरीक्षा ने 24 स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[7] की जाँच की और पाया (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि 21,953 निजी वाहनों में से 6,045 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के (जनवरी 2017 एवं जनवरी 2020 के मध्य) सड़क पर संचालित थे यद्यपि सम्बन्धित वाहन स्वामियों से देय कर वसूल कर लिया गया था। परिणामस्वरूप, फिटनेस शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 3.63 करोड़ की वसूली नहीं हुयी **(परिशिष्ट–VII)**। बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हानिकारक होने के साथ–साथ प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकता है।

[5] *वाहन* डाटाबेस, कर स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, रसीद पुस्तिकाएं, आदि।

[6] वाहन स्वामियों ने वाहनों के गैर उपयोग के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र को समर्पित नहीं किया था एवं कर वापसी का आवेदन नहीं किया।

[7] *वाहन* डाटाबेस, कर पंजिका/स्थिति, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, आदि।

## 4.4 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

**4,467 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 5.65 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।**

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम[8], 1997 के अन्तर्गत, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व वाली कोई भी सार्वजनिक सेवा यान उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा सूचित कर के अलावा उसके सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर की अदायगी न कर दी गयी हो। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[9], के अन्तर्गत, जहां कर या अतिरिक्त कर की अदायगी निर्दिष्ट अवधि (प्रत्येक कैलेण्डर माह की 15वीं तारीख) में भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय कर/अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत प्रति माह या उसके भाग के लिये, की दर से (लेकिन देय धनराशि से अधिक नहीं) अर्थदण्ड देय होगा। प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) को निर्देशित किया था (फरवरी 2006) कि संग्रहीत किया गया कुल देय अतिरिक्त कर सीधे ही कोषागार में जमा करेंगे और उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय को मूल चालान तथा एक प्रति सम्बन्धित स0प0अ0 को जमा करेंगे।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की अवधि में 13[10] स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[11] की जाँच की और देखा (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि उ0प्र0रा0स0प0नि0 की 4,553 बसों की नमूना जाँच किये गये मामलों में से 4,467 में, उ0प0रा0स0प0नि0 ने देय तिथि के एक से पाँच माह के उपरान्त अतिरिक्त कर जमा किया था। विभाग ने इन 4,467 उ0प0रा0स0प0नि0 बसों से अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड ₹ 5.65 करोड़ का आरोपण व वसूली नहीं किया **(परिशिष्ट–VIII)**।

## 4.5 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना

**राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित 1,875 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार शुल्क की धनराशि ₹ 3.28 करोड़ की वसूली न किया जाना।**

मो0या0 अधिनियम[12], 1988, के अन्तर्गत एक परमिट, अस्थायी परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी। के0मो0या0 नियमावली[13], के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए है। परिवहन आयुक्त के आदेशों (फरवरी 2000) के अनुसार, सम्बन्धित प्राधिकारी परमिट धारक को प्राधिकार समाप्ति के 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगा और उससे स्पष्टीकरण की मांग करेगा कि क्यों न प्राधिकार का नवीनीकरण न कराये जाने के मामले में उनका परमिट रद्द कर दिया जाय तथा निर्धारित समय के अन्दर स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर परमिट रद्द कर देगा। राष्ट्रीय

---

[8] उ0प्र0 मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1)।

[9] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1) के साथ उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 9 एवं 24 पढ़ा जाय।

[10] स0प0अ0–अलीगढ़, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज एवं वाराणसी; स0स0प0अ0– मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर तथा रामपुर।

[11] *वाहन* डाटाबेस, उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों का मासिक जमा स्क्रॉल, जमा चालान, यात्री कर पंजिका, अतिरिक्त कर के ऑनलाइन/ऑफलाइन भुगतान के अभिलेख, आदि।

[12] मो0या0 अधिनियम की धारा 81।

[13] के0मो0या0 नियमावली का नियम 87(3)।

परमिट के प्राधिकार हेतु समेकित फीस ₹ 16,500[14] वार्षिक के साथ आवेदन फीस की धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

लेखा परीक्षा ने 12 स0प0अ0[15] के अभिलेखों[16] की नमूना जाँच (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) की और देखा कि राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 6,949 माल वाहनों में से 1,875 वाहन वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, मार्गों पर संचालित (जनवरी 2018 से जनवरी 2020) थे। यह सभी सूचनाएं जैसे प्राधिकार समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों के अन्य विवरण *वाहन* डाटाबेस पर उपलब्ध थे। इसके बावजूद, विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया गया। स0प0अ0 ने भी इन परमिट धारको को नोटिस जारी करने व परमिट रद्द करने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। परिणामस्वरूप, समेकित फीस एवं प्राधिकार फीस की धनराशि ₹ 3.28 करोड़ की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–IX)**।

## 4.6 बिना परमिट संचालित वाहनों पर परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति का आरोपण न किया जाना

**परमिट का नवीनीकरण कराए बिना सड़क पर संचालित 1,960 वाहनों से परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 1.82 करोड़ की वसूली न किया जाना।**

मो0या0 अधिनियम[17], 1988, के अन्तर्गत एक परमिट अस्थाई परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी एवं मोटर वाहन स्वामी वाहन का प्रयोग परिवहन वाहन के रूप में या वाहन के प्रयोग की अनुमति सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिट के नही करेगा। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[18] में नये परमिट, के जारी करने, इसके नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क की दरें निर्धारित है। अग्रेतर, मो0या0 अधिनियम[19], के अन्तर्गत बिना परमिट के वाहन का संचालन, ₹ 5,000 की दर से प्रशमन योग्य है।

लेखा परीक्षा ने 11 स0प0अ0[20] के अभिलेखों[21] की नमूना जाँच की और देखा (दिसम्बर 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य) कि 14,127 मे से 1,960 वाहन (अनुबन्ध गाड़ी, ऑटो/थ्री व्हीलर, मंजिली वाहन, स्कूल वाहन, टैंकर और माल वाहनों) परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी सड़क पर संचालित (अप्रैल 2017 एवं जनवरी 2020 के मध्य) थे। परमिट के वैधता अवधि समाप्त होने की जानकारी *वाहन* डाटाबेस पर उपलब्ध थी। इसके बावजूद, विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया गया। वाहन स्वामियों द्वारा भी वाहनों का प्रयोग न करने के लिए कर की वापसी हेतु आवेदन एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण नहीं किया गया। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने भी इन परमिट धारकों को नोटिस जारी करने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। परिणामस्वरूप, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि **₹** 1.82 करोड़ की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–X)**।

---

[14] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आदेश सं0 आर टी–16031/6/2010 –टी दिनांक 02 अप्रैल 2012।

[15] स0प0अ0– आगरा, अलीगढ़, बाँदा, बरेली, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

[16] राष्ट्रीय परमिट *वाहन* का डाटाबेस, सम्बन्धित पत्रावलियाँ आदि।

[17] मो0या0 अधिनियम की धारा 81 एवं 66।

[18] उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली का नियम 125।

[19] मो0या0 अधिनियम की धारा 192ए।

[20] स0प0अ0– अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, प्रयागराज, एवं वाराणसी।

[21] *वाहन* डाटाबेस, परमिट रजिस्टर, रसीद पुस्तिकाएं, आदि।

## 4.7 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित न किया जाना

**निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 312 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना।**

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत, निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। तथापि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा ने पाँच स0प0अ0 के अभिलेखों[22] की नमूना जाँच वर्ष 2019–20 के दौरान की। लेखापरीक्षा ने नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गों के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों के सूची की दुबारा जाँच की, और यह पाया गया कि अगस्त 2017 एवं जनवरी 2020 की अवधि के मध्य में चार[23] राज्य परिवहन उपक्रम के अन्तर्गत 661 में से 312 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें इन शहरों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थीं, जिसके लिए वे ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0 ने इन बसों के मार्ग–सारणी की जाँच नहीं की और इनके निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र जैसा कि नगर निगम द्वारा परिभाषित किया गया है, के बाहर संचालित होने पर संज्ञान लेने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 2.30 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि विस्तृत रूप में **सारणी–4.3** में वर्णित है।

**सारणी–4.3**

**(₹ लाख में)**

| क्रम सं0 | कार्यालय का नाम | | रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की संख्या | मामलों की संख्या जिसमें अनियमितता देखी गयी | आरोपणीय अतिरिक्त कर की अवधि | कुल अतिरिक्त कर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स0प0अ0 | आगरा | 170 | 36 | 09/2018 से 11/2019 | 26.46 |
| 2 | स0प0अ0 | कानपुर नगर | 187 | 49 | 10/2018 से 11/2019 | 32.93 |
| 3 | स0स0प0अ0 | मथुरा | 59 | 16 | 08/2017 से 12/2019 | 18.79 |
| 4 | स0प0अ0 | मेरठ | 126 | 99 | 02/2019 से 12/2019 | 59.29 |
| 5 | स0प0अ0 | प्रयागराज | 119 | 112 | 10/2018 से 01/2020 | 92.66 |
| **योग** | | | **661** | **312** | | **230.13** |

## 4.8 अभ्यर्पित वाहनों से कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

**तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित किये गये 440 वाहनों के कर/अतिरिक्त कर की धनराशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली करने में कराधान अधिकारी विफल रहे।**

उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[24], 1998, के अनुसार यदि परिवहन वाहन का स्वामी अपने मोटर वाहन को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करता है तो कराधान अधिकारी को पंजीयन प्रमाणपत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेण्डर वर्ष में तीन कैलेण्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की

---

[22] *वाहन* डाटाबेस, नगर निगम/नगर पालिका परिक्षेत्रों की मार्ग पत्रावलियों (अन्दर तरफ/बाहर तरफ) के अभिलेख, जमा अतिरिक्त कर के अभिलेख, नगर निगम के दर की सूची, आदि।

[23] आगरा मथुरा सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, कानपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, मेरठ सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड एवं प्रयागराज सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड।

[24] उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 22।

सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी, तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनः उपनियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन, समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा, बिना संज्ञान इस बात के कि चाहे कराधान अधिकारी से अभ्यर्पित दस्तावेज वापस लिए गये हो अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा ने 16 स0प0अ0/स0स0प0अ0[25] के अभिलेखों[26] की नमूना जाँच (अक्टूबर 2018 से फरवरी 2020 के मध्य) की और देखा कि 2,247 में से 440 वाहन (जनवरी 2017 से नवम्बर 2019) एक कैलेण्डर वर्ष मे चार माह से लेकर 12 माह की अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये थे। यद्यपि, सम्बन्धित स0प0अ0 द्वारा तीन माह से अधिक के विस्तारित अवधि की स्वीकृति नहीं दी गयी, कराधान अधिकारी उन पर कर/अतिरिक्त कर की वसूली की कार्यवाही किये जाने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ₹ 1.44 करोड़ की धनराशि की वसूली नहीं की गयी **(परिशिष्ट–XI)**।

[25] स0प0अ0– आजमगढ़, बरेली, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी; स0स0प0अ0– अम्बेडकरनगर, बदायूँ, बिजनौर, इटावा, फिरोजाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, रायबरेली एवं शाहजहाँपुर।

[26] समर्पित रजिस्टर, सम्बन्धित पत्रावली, कर जमा अभिलेख इत्यादि।